[illegible]

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 20—07—2021

सायल के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हडिया तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 230/0.28 जो गत खसरा नम्बर 110 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा से बना है,में से 500 वर्ग मीटर भूमि कृषि भूमि से आवासीय भूमि में तहसीलदार महवा के आदेश कमांक 1474/आरए/92 दिनांक 25—7—92 द्वारा संपरिवर्तन हो चुका है। इसी तरह खसरा नम्बर 230 में से 2000 वर्ग मीटर दिनांक 23—8—96 को आबादी में कनवर्ट हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी में 1992 से आज तक कभी भी काश्त नहीं हुई है। गैरसायल संख्या 3 खातेदार ने अपनी आराजी का विकय सायल के पिता खूबचन्द व माता पिस्ता को कर दिया तथा मौके पर कब्जा संभला दिया। तहसीलदार महवा द्वारा खातेदार का नाम विलोपित नहीं किया गया है। गैरसायल संख्या 3 का कब्जा के अभाव में नाम डिलीट होना आवश्यक है। सायल दिनांक 25—2—21 को अपनी आराजी की देखभाल कर रहा था तो गैरसायल संख्या 3 मौकै पर आया व सायल को एलानिया

[illegible] व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे।

गैरसायल संख्या 3 की ओर से जबाब इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि सायल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से कोई संपरिवर्तन नहीं करवाया गया है। पूरण द्वारा ही गलत तरीका से संपरिवर्तन करवाया गया है। गैरसायल संख्या 3 वादग्रस्त आरासी का खातेदार काश्तकार है तथा काबिज आराजी है। गैरसायल ने काफी समय पूर्व चार दीवारी कर रखी है। गैरसायल की आराजी से सायल का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है। सायल फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर गेरसयल की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। सायल द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज होने योग्य है। गैरसायल अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा अनुसूचित जाति की खातेदारी की आराजी पर सायल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होत है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में नही ह
कर गैरसायल संख्या 3 के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्तनीय क्षति भी गैरसायल संख्या 3 को ही होगी।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वानों वकीलों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम

स्थित तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 0.28 हेक्टर पूरण पुत्र मूलचन्द जाति धोबी निवासी बाछरेन तहसील महवा की खातेदारी में दर्ज है। अर्थात गैरसायल संख्या 3 वादग्रस्त आराजी का खातेदार है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रमाणित नहीं होकर गैरसायल संख्या 3 के पक्ष में प्रमाणित होता हे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि गैरसायल संख्या 3 द्वारा वादग्रस्त आराजी का विकय सायल के पिता व माता को कर दिया था किन्तु सायल की ओर से इसके समर्थन ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह माना जा सके कि खातेदार पूरण द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी का विकय सायल के पिता व माता को किया गया हो। सायल की ओर से पटटा संख्या 15, 16 व 17 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है किन्तु इनसे यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त पटटे किस खसरा नम्बर मे से जारी किये गये है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की खातेदारी की आराजी में पटटा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस स्तर पर हमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करना है। गैरसायल सख्या 3 वादग्रस्त आराजी का खातेदार है तथा पत्रावली पर अन्यथा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसलिये कब्जा भी खातेदार का ही माना जावेगा। सायल की ओर से तहसीलदार महवा के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 25-07-1992 व 31-08-1996 की छाया प्रति प्रस्तुंत की है जो खातेदार पूरण पुत्र मूलचन्द धोबी के नाम है जिनसे भी सायल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हे। यदि सायल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वह अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में ताकत के बल पर गैरसायल 3 पूरण खातेदार को बेदखल कर सकता है जिससे गैरसायल को अपूर्तनीय क्षति होना संभावित है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने अनेकों निर्णयों

में यह निर्धारित किया है कि रिकार्डेड ,खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इस प्रकार अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में नहीं होकर गैरसायल संख्या 3 के पक्ष में प्रमाणित होता है।

प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में प्रमाणित नहीं होकर गैरसायल संख्या 3 के पक्ष में प्रमाणित है इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायल संख्या 3 के पक्ष में ही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि प्रथम दृष्टया मामला अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में नहीं होकर गैरसायल के पक्ष में है। इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। सायल के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02–03–2021 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 20–07–2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
मड़वा (कोटा)